



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 13()परावि/प्रशा.1/वि.अ./जांच/लक्ष्मणगढ/अलवर/2020/496 जयपुर दिनांक:- 3.4.2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1893 दिनांक 26.09.2019 द्वारा श्री ऋषिराज मीना, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया था एवं विभागीय आदेश क्रमांक 1914 दिनांक 29.9.2019 (क्रम सं.22) द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा से पंचायत समिति चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित किया गया था, उक्त दोनो आदेशों को श्री ऋषिराज मीणा के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 31.7.2018 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/उदयपुर।
8. जिला कलक्टर, अलवर/चित्तौडगढ।
9. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर/चित्तौडगढ।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
11. श्री ऋषिराज मीना, विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. आदेश पत्रावली।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)